

'हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्वामी अवधेशाचार्य और उनके परिवारजनों को मुख्य द्वार से प्रवेश पर पुलिस ने रोका'

गलताजी ठिकाने के स्वामी अवधेशाचार्य ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2 अगस्त को जारी आदेश की पालना करवाने की मांग की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। गलता पीठ ठिकाना की संपत्ति व महंत की नियुक्ति पर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। स्वामी अवधेशाचार्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को शिकायत भेजी है कि, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों ने 2 अगस्त की रात को उन्हें घर के मुख्य द्वार पर ही 3 घंटे रोक लिया। हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि दिखाने के बावजूद भी गलताजी धानाधिकारी और ए.सी.पी. रामगंज ने उनकी बात नहीं सुनी। जब कई बार समझाने पर भी पुलिस अधिकारी नहीं माने तो थक-हारकर स्वामी अवधेशाचार्य व उनके पुत्र राघवेंद्र को धर्मशाला जाना पड़ा।



राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने शुक्रवार देर रात गलताजी मंदिर परिसर स्थित आवास पर जाने से स्वामी अवधेशाचार्य और उनके पुत्र स्वामी राघवेंद्र को रोक लिया।

- शिकायत में अवधेशाचार्य की ओर से कहा गया है कि, "उनके घर के मुख्य द्वार, जो मंदिर परिसर की तरफ खुलते हैं, उसे सील करके बंद कर दिया गया है। इस कारण उन्हें अपने आवास तक आने-जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें अपने घर के पीछे बने गार्डों के बाड़े के रास्ते से घर में आना पड़ रहा है।"
- शिकायत में कहा गया है कि, "राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 2 अगस्त को स्वामी अवधेशाचार्य को मंदिर परिसर में बने अपने निवास पर रहने और आने-जाने के लिए फ्लट दी है।" उन्होंने इस आदेश की प्रतिलिपि भी पुलिस अफसरों को दिखाई, इसके बावजूद उन्होंने शुक्रवार रात को करीब 3 घंटे तक उन्हें मुख्य द्वार पर रोककर रखा, जो कि हाईकोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है।

रहा है। उन्हें अपने घर के पीछे बने गार्डों के बाड़े के रास्ते से घर में आना पड़ रहा है।

स्वामी अवधेशाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा कि, "2 अगस्त को रात करीब पौने 9 बजे वह अपने पुत्र के साथ निवास की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर की तरफ खुलने वाले उनके घर के



स्वामी अवधेशाचार्य के मुख्य निवास पर प्रशासन द्वारा लगाई गई पेपर सील की फोटो उनके पुत्र स्वामी राघवेंद्र द्वारा साझा की गई।

मुख्य द्वार को सील कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें और उनके पुत्र को घर के दरवाजे पर तैनात पुलिस अफसरों ने 3 घंटे तक रोककर रखा। मंदिर परिसर में मौजूद ए.सी.पी. रामगंज व गलता धानाधिकारी का कहना था कि, "प्रशासन द्वारा उन्हें आदेश दिए गए हैं कि, इस द्वार से किसी की एंट्री नहीं होने दी जाए दरवाजे पर सील प्रशासन के आदेशों पर ही लगाई गई है, जिसे खोलने के लिए उन्हें कोई आदेश नहीं मिला है।"

स्वामी अवधेशाचार्य ने शिकायत में लिखा है कि, पुलिस के दोनों वरिष्ठ अफसरों ने उन्हें घर के द्वार पर रोकते हुए कहा कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है सील खोलने का। ए.एस.ओ. ने कहा कि मेरी अतिरिक्त कलेक्टर (एडीएम) से बात हो गयी है, वे यहां पहुंच रहे हैं। रात को करीब 2 घंटे तक स्वामी अवधेशाचार्य व उनके पुत्र राघवेंद्र, जिला प्रशासन के

मौके पर पहुंचने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। पुलिस द्वारा टोकाटोकी व घर में प्रवेश से रोकने के प्रयास का वीडियो भी स्वामी अवधेशाचार्य की ओर से रिकॉर्ड किया गया है। स्वामी अवधेशाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रोकने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। धानाधिकारी लिखमराम ने यहां तक कह दिया कि, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपको सील खोलकर अंदर जाने नहीं दे सकते।"

स्वामी अवधेशाचार्य ने जिला कलेक्टर को इस पूरे प्रकरण की शिकायत करते हुए लिखा कि, जिला प्रशासन की ओर से ऐसा स्पष्ट आदेश पारित किया जाए, जिससे कि मंदिर परिसर में तैनात सरकारी अधिकारी व पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार उनके घर के मुख्य द्वार पर लगाई गई पेपर सील को हटाए

आर्यिका निरंजनमती माताजी का यमसल्लेखना पूर्वक समाधि मरण




बिलवा स्थित शान्तिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के सानिध्य में हुई समाधि।

जयपुर। टॉक रोड के बिलवा स्थित शान्तिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुधर्म नंग अहिंसा ट्रस्ट के परिसर में गणिनी आर्यिका रत्न सुपाश्र्वमती माताजी एवं गणिनी आर्यिका रत्न गौरवमती शिष्या आर्यिका निरंजनमती माताजी का यम सल्लेखना पूर्वक सम्यक समाधिमरण गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के सानिध्य में हो गया। जिसके पश्चात जैन परंपराओं के अनुसार ब्रह्मचारी जिनेश भैया के निर्देशन में निरंजनमती माताजी की अंतिम डोल यात्रा निकाली गई और मंत्रोच्चारण के साथ माताजी के शरीर को पंचत्वत्त में विलीन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और पूज्य माताजी को नम आंखों के साथ विदाई दी। अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा एकता संघ अध्यक्ष अभिषेक

जैन बिट्टू ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्यिका निरंजनमती माताजी को सर्व प्रथम छुल्लिका दीक्षा 15 फरवरी 2015 को गणिनी आर्यिका रत्न गौरवमती माताजी द्वारा मानसरोवर स्थित वरुण पथ जैन मंदिर पर प्रदान की गई थी, उस समय माताजी को श्रेयांशमती नाम प्रदान किया गया था, क्योंकि उस दिन तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक पर्व था। इसके पश्चात वर्ष 2021 में गणिनी आर्यिका गौरवमती माताजी का देवलोक हो जाने के बाद छुल्लिका श्रेयांशमती माताजी गणिनी आर्यिका नंगमती माताजी के संघ में सम्मिलित हो गई थी, नंगमती माताजी द्वारा 31 जुलाई 2024 को ही आर्यिका दीक्षा प्रदान की गई थी, तब माताजी को निरंजनमती नाम प्रदान किया गया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे राज्यपालों के सम्मेलन में शामिल हुए

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने शुक्रवार और शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया। बागडे राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मेलन में एक भारत श्रेष्ठ भारत, 'एक वृक्ष मां के नाम' और प्राकृतिक खेती अभियान, राज्यपालों का जनता से सतत संपर्क, राज्यपालों की भूमिका और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में राज्यपालों की भूमिका जैसे विषयों के विभिन्न सत्रों में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदि ने संबोधित किया।



राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने शनिवार को दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुसली मनोहर जोशी के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनसे विभिन्न विषयों पर संवाद किया। राज्यपाल बागडे की जोशी से यह शिष्टाचार भेंट थी।

अधिकारियों के विरुद्ध लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति के विचारार्थी विभिन्न प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने 7 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों को सीसीए नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत दण्डित करने तथा 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आरोप के समाप्तप्राप्तिक पंशन रोकने का निर्णय किया। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध संचालित एक अन्य प्रकरण में प्रमाणित आरोप का अनुमोदन तथा 2 प्रकरणों में आरोप अप्रमाणित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को दोषमुक्त किया। शर्मा ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार के प्रकरणों में न्यायालय से दोषसिद्धि के 2 प्रकरणों में दोषी चिकित्सकों को राजकीय सेवा से पदच्युत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत प्रस्तुत 3 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने सीसीए नियम 34 में प्रस्तुत 3 पुनरावलोकन याचिकाएं संतोषजनक तथ्यों के अभाव में खारिज तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 1 प्रकरण में प्रस्तुत अपील अंतर्गत नियम 53(4) को अस्वीकार किया। साथ ही, धारा 17-ए के 2 प्रकरणों में प्रथम दृष्टया कार्यवाही योग्य नहीं होने से परिवाद लंबित कर विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने की अनुमति प्रदान नहीं की।

पत्थर से युवक का सिर फोड़ा

जयपुर। शिवदासपुर थाना इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने पत्थर से हमलाकर पैदल जा रहे मजदूर का सिर फोड़ दिया और फिर मारपीट कर उससे मोबाइल व नकदी छीनकर ले गए। पुलिस के अनुसार मूलतः यूपी हाल रामचंद्रपुरा निवासी नाजीमूल ने मामला दर्ज करवाया कि वह गिरामिड कंपनी में काम करता है। एक अगस्त को दोपहर वह कंपनी से खाना खाने पैदल ही अपने रुम पर जा रहा था। तुलुंग कॉलेज के पास पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए और

बदमाशों से पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद वह सड़क पर गिर गया। बदमाशों ने उसके साथ लात-घुसे से मारपीट की और उससे मोबाइल व जेब में रखे 5200 रुपये निकाल कर ले गए। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उससे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल और उसके आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

पूर्व पत्नी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, (का.सं.)। महानगर द्वितीय की महिला उल्डीन प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व पत्नी के घर में घुसकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पूर्व पति को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ इस प्रकृति के अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने 14 अक्टूबर, 2021 को आरंभ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पुत्र और पुत्री के साथ रहती है। उसका अपने शौहर से 9 अप्रैल, 2021 को तलाक हो चुका है। इसके बावजूद वह आए दिन उसे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर बलाकार करता है।

पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए राज्य बजट में दी गई ढेरों सौगातें : भजनलाल शर्मा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाएं एवं उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि किसान, पशुपालक, युवा, महिला सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिरसोही एवं बाली सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद देने आए देवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के सभी वालों को हमारी सरकार पूरा कर रही है।



बजट सौगातों के लिए देवासी समाज के प्रतिनिधियों ने आधार जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जालोर-सिरसोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, देवनायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, समाराम एवं गोपीचंद मीणा सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का सुदृढीकरण, 95 करोड़ रुपये की लागत से पाली में 30 मीट्रिक टन क्षमता का अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट हेतु 25 करोड़ रुपये से कोटा में केटल फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 हजार नये डेयरी बूथ खोले जाएंगे। इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाएंगे, 2 वर्षों में 1 हजार 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां तथा किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने हेतु 2 हजार दुग्ध संकलन केंद्र खोले जाएंगे। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जालोर-सिरसोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, देवनायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, समाराम एवं गोपीचंद मीणा सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

पहले 10 ब्लॉक कांग्रेस को भंग किया विरोध पर दो को फिर बहाल किया

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने फीडबैक के आधार पर संगठन को पुनर्गठन कर मजबूत करने के लिए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर 100 ब्लॉक कांग्रेस एवं मंडल कांग्रेस कमेटियों को भंग किया, लेकिन इस काम में गफलत हुई तो दसों के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक प्रदेश के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक प्रदेश के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक प्रदेश के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक प्रदेश के दो ब्लॉक को भंग करने का आदेश निरस्त भी कर दिया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

स्वोया पाया
मेरे मकान संख्या 52/82, मानसरोवर जयपुर का मूल Perpetual Lease Deed and its Receipt कहीं गुम हो गए हैं, मिलने पर सूचित करें- गौरव अग्रवाल, 9829223587

मैं मंजू देवी पति हरि मोहन माहेश्वरी का जय अम्बे कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी प्रा. लि. जयपुर का प्लॉट नं.43, क्षेत्रफल 691.60 वर्गगज, चौधरी कॉलोनी II का पट्टा, रसीदे, साईट प्लान कहीं गिर गये हैं। मिलने पर सूचित करें- मोबाईल-9950338701

मेरे मकान संख्या 52/54 शिवा पथ, मानसरोवर, जयपुर के मूल कब्जा पत्र नियमितकरण पत्र एवं अदेय पत्र Allotment/Possession Letter व Handing Over of The House कहीं गुम हो गये हैं। मिलने पर सूचित करें- हुकम चन्द जोरम- 94113342869

आवास संख्या 123/87 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र व कब्जा पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। तुलसी दास मो-7614680543

नाम परिवर्तन
मैं, हेमलता शर्मा पुत्री श्री राममोपाल शर्मा निवासी- 57, शिवविहार-ए, जनक पैराडिज के पास, मानसरोवर, जयपुर ने विवाहोपरान्त अपना नाम हेमलता शर्मा से बदलकर हेमा कौशिक पति श्री विनोद कौशिक रख लिया है, भविष्य में मुझे हेमा कौशिक के नाम से ही जाना जाये। मैं नः 15224134N नायक बरशिले राहुल ज्ञानदेव पता- ग्राम पोस्ट ऑफिस- जवना, तहसील पारनेर, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पत्नी का नाम वैशाली है जो गलत है। सही नाम बरशिले वैशाली राहुल है। शपथ पत्र संख्या 0005/22570 दिनांक- 05/05/2024 मैंने अपना नाम विजय कुमार गुप्ता से बदल कर विजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री शिवचरण सिंघल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी 4-YA-12, जवाहर नगर, जयपुर I Army No-15704201P (TTC) Santosh Baro Slo Nakul Chandra Baro Presently Posted 71 Network Signal REGT Jaipur, My Service Record My Wife Name is SRI Pranita Baro which is wrong. Correct Name is Pranita Baro is Enter Correct Name.